रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274778
SG-DL-E-24072026-274778

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 127
No. 199]	DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948	[N. C. T. D. No. 127

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

फा. सं. DH&FW/107/2026-COUN-HFW/169210.— जबकि भारत में योग्य फार्मासिस्टों की आवाजाही को सुगम बनाना और अन्य राज्य फार्मेसी परिषदों में पहले से पंजीकृत फार्मासिस्टों के पंजीकरण में आसानी सुनिश्चित करना आवयश्क माना जाता है;

अब, इसलिए फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 32 के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा प्रावधान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित किसी भी राज्य फार्मेसी परिषद में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत है तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निवास करता है या फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा करता है, वह उक्त अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली फार्मेसी परिषद द्वारा अनुरक्षित फार्मासिस्टों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पात्र होगा।

यह भी उपबंधित है कि किसी नियम, विनियम, आदेश, दिशा–निर्देश, निर्देश या कार्यप्रणाली में किसीभी बात के निहित होते हुए भी, फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अन्तर्गत पंजीकरण चाहनेवाले किसी भी आवेदक को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों या अनापत्तिप्रमाण पत्रों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज, प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सी0एल0 राय , उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2026

F. No. DH&FW/107/2026-COUN-HFW/169210.— Whereas, it is considered necessary to facilitate mobility of qualified pharmacists and to ensure ease of registration for pharmacists already registered with other State Pharmacy Councils in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 46 read with section 32 of the Pharmacy Act,1948(8 of 1948), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby provides that any person who is registered as a pharmacist with any State Pharmacy Council established under the Pharmacy Act, 1948 and who resides or carries on the business or profession of pharmacy in the National Capital Territory of Delhi, shall be eligible to have their name entered in the Register of Pharmacists maintained by the Delhi Pharmacy Council in accordance with the provisions of section 32 of the said Act.

Provided that, notwithstanding anything contained in any rule, regulation, order, guideline, instruction or practice for the time being in force, no applicant seeking registration under section 32 of the Pharmacy Act, 1948 shall be required to furnish any other document, certificate or No Objection Certificate other than those required under the said Act.

C.L.ROY, Dy.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.24 17:57:58 +05'30'